



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला सम्भल
तहसील सम्भल
आवेदन क्र. 172050030009679
प्रमाण पत्र क्र. 754173002642

जारी दिनांक: 09/05/2017

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री अमित यादव
श्री बदन सिंह
श्रीमती ...
- हयातनगर पोस्ट
सरायतरीन
-
सम्भल
सम्भल



उत्तर प्रदेश राज्य की यादव जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है की श्री अमित यादव पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिण छुट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



डिजिटल लॉकर सेवा
द्वारा
डाउनलोडेड

SHARVAN
KUMAR
RATHORE
Digitally Signed
by
SHARVAN
KUMAR
RATHORE
O="Personal",
C=IN,CN=SHARVAN
KUMAR
RATHORE,
S=Uttarakhand

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित
सम्भल सम्भल
दिनांक: 09/05/2017

स्वहस्ताक्षर

यह प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र के आधार पर डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से आवेदक द्वारा डाउनलोड किया गया है, वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र. फिर प्रमाण पत्र क्र. अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।